



पुनरीक्षण याचिका क्रमांक / 16
प्रस्तुति दिनांक : 20-03-2016

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर (म.प्र.) के समक्ष

क्रमांक -1301-PBX-6

प्रवीण कुमार उर्फ चिन्दू पिता स्व. श्री
कैलाशचंद्र अग्रवाल
आयु 35 धंधा काश्तकारी
निवासी पानसेमल जिला बडवानी

.....प्रार्थी / अपीलार्थी

वि रू द्ध

मंजूबाई पति श्री कैलाशचंद्र अग्रवाल
आयु 48 वर्ष धंधा गृहिणी
निवासी सुनमुन सोसायटी
अकोटा रोड बडौदा गुजरात

.....प्रतिप्रार्थी / प्रतिअपीलार्थीगण

निगरानी याचिका अंतर्गत धारा 50
मध्यप्रदेश मू-राजस्व संहिता 1959 के तहत

उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी की ओर से निवेदन है कि :-

प्रार्थी द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त महोदय इंदौर
संभाग इंदौर (म.प्र.) के राजस्व अपील प्रकरण क्रमांक
215/15-16 में पारित आदेश दिनांक 15-03-2016
से असंतुष्ट एवं दुःखी होकर प्रार्थी द्वारा निम्नलिखित
अतिरिक्त आधारों पर यह निगरानी याचिका प्रस्तुत
करते हैं :-

(Handwritten signature)

21.4.2016

आवेदक की ओर से श्री किनोद युवायुवा आयोगाध्यक्ष उपस्थित। शाहजना पर युवा गया। उनका तर्क है कि अपर आनुवंशिक द्वारा हस्तागत नहीं दिखे जाये। वे आनुवंशिकी श्रम का विक्रम कर देंगी, जिसे जहाँ आवेदक को अपूर्ण निष्पत्ति होनी, वहीं अपर आनुवंशिक के समस्त पुनर्वाचित अर्थात् निरर्थक हो जायेगी। अतः तीन माह तक प्रस्तावित श्रम के कुत्र-निष्पत्ति पर लेक लगाई जाकर निर्देश दिखे जाते हैं कि उभय पक्ष प्रस्तावित श्रम का कौन सी प्रकार से अंतरण न करें। अपर आनुवंशिक को निर्देश दिखे जाते हैं कि वे प्रकृति का तीन माह में प्रकृति का निराकरण करें।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
अध्यक्ष

[Handwritten signature]